न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–10, वाराणसी।

सत्र परीक्षण संख्या 764/2021
राज्य प्रति पंकज यादव व अन्य।

आरोप

मैं, देव कान्त शुक्ला अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–10, वाराणसी आप अभियुक्तगण–

1. पंकज सिंह,
2. सौरभ पुंज
3. पंकज यादव

को निम्न आरोपों से आरोपित करता हूँः–

प्रथम– यह कि दिनांक 31/01.04.2021 की रात्रि आप लोगो ने वादी मुकदमा विनोद कुमार मिश्रा के पुत्र मनीष कुमार मिश्रा को जान से मारने के सामान्य आशय से रामदबर यादव के भूमिगत कमरा स्थित सलारपुर वाराणसी में गमछे से गला कस के घोट कर उसकी हत्या कारित कर दी। इस प्रकार आप लोगो का यह कृत्य भा0दं0सं0 की धारा 302/34 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है ।

द्वितीय– यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आपलोगो ने मृतक मनीष कुमार मिश्रा के शव को मोटर साइकिल पर लाद कर रेलवे ट्रैक पर शव को सुला दिये कि जब ट्रेन आवे तो उसके शव का एक्सीडेन्ट हो जाए। इस प्रकार आपलोगो के द्वारा अपराध के साक्ष्य का विलोपन किया गया। आप लोगो का यह कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 201 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

अतएव एतद्द्वारा आपलोगो को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप के लिये आपलोगो का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक– 02.11.2022

(देव कान्त शुक्ला)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–10,
वाराणसी।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया तथा परीक्षण किये जाने की मांग की।

दिनांक– 02.11.2022

(देव कान्त शुक्ला)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–10,
वाराणसी।

Digitally signed by DEV KANT SHUKLA
Date: 2022.11.02 16:08:14 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court